न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, औषधि एवं अंगराग अधिनियम, पटना

सत्र वाद संख्या–649 / 2024

आदेश

17.04.2026 प्रस्तुत मामले में एकमात्र अभियुक्त राजेश कुमार गुप्ता की ओर से प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया गया है, जिसे केवल आज तक के लिए स्वीकृत किया जाता है। उक्त अभियुक्त की ओर से दिनांक 16.07.2025 को दण्ड प्रक्रिया संहित की धारा 227 के अंतर्गत दाखिल उन्मोचन आवेदन पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के पश्चात अभिलेख आज आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आवेदन उपरोक्त में वर्णित तथ्यों के आलोक में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस मामले में उसे वेबुनियाद, झुठा एवं मनगढ़न्त आरोप लगाया गया है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि 27.04.2020 को संध्या 05.30 बजे औषधि नियंत्रक, पटना के सदस्यों द्वारा आर0के0 एजेन्सी, जी0एम0 रोड, पटना में छापामारी की गई। छापामारी के दौरान औषधि अनुज्ञप्ति की मांग की गई, जिसे संस्थान के कर्मचारी के द्वारा प्रस्तुत की गई। सहायक औषधि नियंत्रक, पटना के द्वारा सर्जिकल आइटम को प्रपत्र 16 में जब्त किया गया। तथाकथित संस्थान का प्रोपराइटर आवेदक है। जब्त किए गए सभी औषधि आवेदक के नाम से है तथा सभी औषधि का तारीख व समय सही है। अभिलेख पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप गठन हेतु कोई सामग्री नहीं है। अतः उसे उन्मोचित किया जाए।

विरोधस्वरूप विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कथन है कि पर अवैध तरीके से बगैर अनुज्ञप्ति के औषधियों एवं सर्जिकल आइटम का क्रय–बिक्रय किए जाने का आरोप है। अभिलेख पर छापामारी प्रतिवेदन एवं जब्ती सूची उपलब्ध है। पुलिस द्वारा अनुसंधानोपरांत आवेदक के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किए जाने के उपरांत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420

न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, औषधि एवं अंगराग अधिनियम, पटना

सत्र वाद संख्या–649/2024

लगातार

17.04.2026 एवं औषधि एवं अंगराग अधिनियम की धारा 27(बी)(ii) के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया है। अभिलेख पर आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध आरोप गठन हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है निवेदन है उपरोक्त आवेदन खारिज किया जाए।

दोनों पक्षों को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो दवा जब्त की गई है, उसका बिल/वाउचर उसके पास था, मगर वह दवा ग्रॉसरी की दुकान से बरामद की गई है, जो दवा की दुकान नहीं है। इसलिए आवेदक का उन्मोचन आवेदन खारिज किया जाता है। शेष बातें विचारण का विषय है। वाद दिनांक 29.04.2026 को वास्ते आरोप गठन हेतु।

लेखापित एवं संशोधित

(प्रमोद कुमार यादव)
विषेष न्या0

निर्णय/आदेश की तिथि	17.04.2026
निर्णय/आदेश आरक्षित करने की तिथि	------
अपलोडिंग तिथि	17.04.2026
अपलोड किसके द्वारा किया गया	आशुलिपिक